झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) सरायकेला–खरसावाँ / PDS–24 / 2022– 392

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 08.06.2023

विषयः– **ट्रांस्पोर्टरों द्वारा PDS के अनाज की अतिरिक्त ढुलाई कर करोड़ों का राजस्व नुकसान की संभावना के विषय पर जाँच की मांग से सम्बन्धित प्राप्त परिवाद–पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्री रमेश हांसदा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पता–बाघराइसाई, पो0–गोविन्दपुर, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद–पत्र में सरायकेला–खरसावाँ जिले में अनाज पहुँचने में विलंब का उल्लेख किया गया है। परिवादी का आरोप है कि विगत एक वर्ष से JSFC द्वारा RO divert करने की परंपरा शुरू कर दी गई है, जिससे एक जिले से दूसरे जिले का अनाज मंगवाया जाता है। यह भी कि इस परंपरा से JSFC में सूचीबद्ध ट्रांस्पोर्टरों को करोड़ों का अतिरिक्त भुगतान की संभावना व्यक्त की गई है। परिवादी द्वारा RO divert किये जाने की वैधानिकता एवं इससे राज्य को हुए आर्थिक नुकसान के विषय पर जाँच कराने एवं जाँच प्रतिवेदन परिवादी को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिवाद–पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच कराते हुए, उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/6/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx329

(68)

रमेश हांसदा
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य
भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा)
मो०–9431374481, 7903176110

भारतीय जनता पार्टी

पत्रांक : STm | BJP | 28/2023 दिनांक : 30.05.2023

M.S.
Pls. sent a letter to Secretary food & civil supply requesting detail enquiry on below mentioned matter.
(signature) 30/05/23

सेवा में,
अध्यक्ष,
झारखण्ड खाद्य आयोग
राँची.

विषय :- ट्रांसपोर्टरों द्वारा अतिरिक्त ढुलाई कर करोड़ो का राजस्व का नुकसान की सम्भावना की जांच की मांग

(signature) 30/5/23

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे जिला सरायकेला-खरसंवा में दिसम्बर 2022 का PMGKY के तहत मिलने वाला अनाज अधिकतर प्रखण्डों में नहीं बांटा गया इसकी शिकायत मैंने आयोग को की है। इसी सम्बन्ध में और जानकारी हासिल करने के लिए मैंने कई सम्बन्धित लोगों से जानकारी हासिल की कि आखिर में क्या चावल/अनाज उपलब्धि में देरी होती है या फिर अनाज ही डीलरों द्वारा लाभुकों को नहीं मिलता। जिला के अधिकारियों से पुछने पर जवाब मिलता है कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा अनाज विलम्ब से पहुँचाने के कारण अनाज देरी से मिलता है। कभी-कभी 3-3 महिना का विलम्ब भी हमारे जिला में हुआ। आयोग में शिकायत के बाद ही हमें अनाज मिल पाया।

मो/ विनोद (signature) 30/05/23

(signature) 30.5.23

महोदय, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार TPDS प्रावधान के तहत प्रत्येक जिला के लिए झारखण्ड स्टेट फूड कॉरपोरेशन द्वारा इसी को ध्यान में रख कर transporting & Handling का टेंडर किया जाता है। पिछली सरकारों में 2-3 वर्षों पहले तक ऐसी जानकारी मिलती रही की कभी-कभी कुछ समय के लिए किसी-किसी FCI

P.T.O

रमेश हांसदा
राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य
भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा)
मो०–9431374481, 7903176110

भारतीय जनता पार्टी

पत्रांक : .... दिनांक : ....

गोदामों में अनाज की कमी होने पर JSFC के पदाधिकारी FCI पर दबाव बनाकर मामले का समाधान कर लिया करते थे। लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले एक वर्ष से JSFC द्वारा RO ~~अवैध~~ divert करने की परम्परा शुरू कर दी है। ~~इसके~~ RO के divert करने से एक जिला से दूसरे जिला का अनाज मंगवाने का काम किया जाता है। इससे न सिर्फ जिलों में अनाज समय पर मिल पा रहा है साथ ही JSFC में रहती बहुत कुछ ट्रांसपोर्टरों को अतिरिक्त करोड़ों का भुगतान की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि मामले की जांच कराया जाय। कि दूसरे जिले से अनाज मंगवाने के लिए RO क्यों divert किया गया। RO divert नियम संगत था या नहीं? इसमें राज्य का आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं? पूरे मामले की जांच करा कर मुझे भी जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

आपका विश्वासी

[signature]
30/05/2023

आवास : बाघराइसाई, पो० – गोविन्दपुर, थाना – राजनगर, जिला – सरायकेला खरसांवा, झारखंड